

चंद्रपूर वन प्रबोधिनी संकुल परिसरात वनवणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत, मूलभूत संरचनेसह बांधकाम करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०१७/प्र.क्र.३१०/फ-९
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०१८

वाचा : १) महसूल व वन विभाग (मदत व पुर्नवसन) मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय

क्र.डीएमयु-२०१५/प्र.क्र.१८०/डीएमयु-१, दिनांक २९.०४.२०१७

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष २४(३)/वअ/७१२/२०१६-१७, दिनांक १०.०८.२०१७.

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बैठक-२०१८/प्र.क्र.२१/इमा-१, दिनांक ०६.०२.२०१८.

प्रस्तावना :-

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय अन्वये केंद्र शासनाचे आपत्ती निवारण विषयक योजना महाराष्ट्र राज्यात देखील अंमलबजावणी बाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने चंद्रपूर वन प्रबोधिनी संकुल परिसरात वनवणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत, मूलभूत संरचनेसह बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सदर इमारतीचे अवस्था-१ चे अंदाजपत्रक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तयार केले असून त्यावर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर प्रदेश यांनी तपासले आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.२ अन्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी शिफारशीसह प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.

वार्षिक योजना सन २०१७-१८ राज्य योजनेअंतर्गत चंद्रपूर वन प्रबोधिनी संकुल परिसरात वनवणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत मुलभूत संरचनेसह बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. ७२३.२७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सदर प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागास आवश्यक पडताळणी करुन सचिव समितीकडे प्रशासकीय मान्यतेकरीता पाठविण्यात आले होते. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४.०१.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत चंद्रपूर वन प्रबोधिनी संकुल परिसरात वनवणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत, मूलभूत संरचनेसह बांधकाम करणेकरिता सचिव समितीने सदर प्रस्तावाच्या रु. ७२३.२७ लक्ष (रूपये सात कोटी तेवीस लक्ष सत्तावीस हजार मात्र) एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सहमती दर्शविलेली आहे.

शासन निर्णय :-

चंद्रपूर वन प्रबोधिनी संकूल परिसरात वनवणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत मुलभूत संरचनेसह बांधकाम करणेकरिता रु. ७२३.२७ लक्ष (रुपये सात कोटी तेवीस लक्ष सत्तावीस हजार मात्र) एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व खालील नमूद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता (**वित्तीय मान्यता वगळून**) देण्यात येत आहे :-

१. सदर बांधकामाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१४/ प्र.क्र. ९६/इमा-३, दिनांक ८.७.२०१४ मधील कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
२. प्रस्तुत कामाचा आरसीसी आवार भिंतीसाठी संकल्पन तयार करुन त्यास सक्षम अधिकारी यांची मंजूरी घ्यावी. तसेच प्रस्तुत नस्ती सोबतच्या अंदाजपत्रकावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकार्यांची स्वाक्षरी घ्यावी.
३. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी.
४. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे.
५. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दि.१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
६. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

सदर आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. विअप्र १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/ विनियम, दिनांक १५ मे, २००९, वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार, अ.क्र. १, परिच्छेद क्र. १३४ नुसार विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने, निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२०८१७३९५९२९१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सुजय दोडल)
सह सचिव (वने)
महसूल व वन विभाग

प्रति,

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
३. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर.
४. संचालक, चंद्रपूर वन अकादमी, चंद्रपूर.
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत-१), मंत्रालय, मुंबई-३२.
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२.
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२.
९. फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती)

| Name of the Department : Revenue and Forest Department | | | |
|--|---|---|--|
| Name of Work : Block Plans and Estimate for school for Unified Disaster (R.R.) Handling and Integrated Resilience (SUDHIR) | | | |
| RECAPITULATION SHEET | | | |
| Sr. No. | Particulars of Items | Norms (Unit Rate Rs. per Sqmt./Meter/LumpSum etc.) | Cost Rs. |
| (A) ESSENTIAL ITEMS | | | |
| 1 | Building proper (Scope) | | |
| | (a) Area (Sqmt.) | 1703.00 | 23540.74 Per Sqmt. |
| | (b) Number of Floors | Stilt | |
| | (a) Area (Sqmt.) | | Per Sqmt. |
| | (b) Number of Floors | FF | |
| | (a) Area (917.62 Sqmt.per Floor) | | Per Sqmt. |
| | (b) Number of Floors | SF | |
| | (a) Area (Sqmt.) | | Per Sqmt. |
| | (b) Number of Floors | TF | |
| | (c) Foundation in B.C../ Weak Soil | | |
| | (d) Cost of Construction | | 4,00,89,878.00 |
| 2 | Electrification | Internal | 5 % of 1(d) |
| | | External | 6 % of 1(d) |
| | | | Total |
| | | | 20,04,493.90 |
| | | | 24,05,392.68 |
| | | | 44,09,886.58 |
| 3 | Water Supply and Sanitation | | 8% - of 1(d) |
| | | | 32,07,190.24 |
| 4 | Miscellaneous Items | | |
| | Compound Wall | | Per Rmt |
| | Internal Roads | | Per Sqmt |
| | Approach Roads | | Per Sqmt |
| | C.C. Drains | | Per Rmt |
| | Furniture | 1202.70 sqmt | 5,000.00 Per Sqmt |
| | Rain Water Harvesting | | Lump Sum |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | Lump Sum |
| | Soil Investigations | | Lump Sum |
| | Land Scaping 3% | | Lump Sum |
| | A coustic work 3% | | |
| | Consultancy charges (As approved by government) | | |
| | | | Total |
| | | | 12,02,696.00 |
| | | | 12,02,696.00 |
| | | | 21,21,593.00 |
| | | | 1,15,40,467.00 |
| | | | Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) |
| | | | 5,92,47,422.00 |
| (B) OPTIONAL ITEMS | | | |
| Sr. | Items | | |
| 1 | Solar Energy System | | Lump Sum |
| 2 | Lifts | | Lump Sum |
| 3 | Water Main Storage etc. | | Lump Sum |
| 4 | Fees of various Govt permission | | Lump Sum |
| | | | Subtotal (B) |
| | | | 10,00,000.00 |
| | | | 2,00,000.00 |
| | | | 12,00,000.00 |
| | | | PROJECT (A) + (B) (T) |
| | | | 6,04,47,422.00 |
| | | | TOTAL |
| | | | Add 4% for Contingencies on (d) |
| | | | 16,03,595.00 |
| | | | Add 12% for GST on (T) |
| | | | 72,53,691.00 |
| | | | Add 5% Centage charges on (T) |
| | | | 30,22,371.00 |
| | | | TOTAL COST OF PROJECT |
| | | | 7,23,27,079.00 |
| | | | Say Rs. Lakhs |
| | | | 723.27 lakhs |